राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

कमांकःप.1(3)गृह–9/2018 पार्ट–1 जयपुर, दिनांकः **30.05.2019**

–:परिपत्रः–

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ..997.....
दिनांक ...12/6/19...

विषय –शस्त्र अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदन/नवीनीकरण/पंजीकरण/विधिक उत्तराधिकारियों को अनुज्ञप्ति एवं रिलीज के सम्बन्ध में।

आयुध अधिनियम 1959 (1959 का केन्द्रीय अधनियम 54) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने आयुध नियम 2016 जारी किये है। उक्त नियम दिनांक 15 जुलाई, 2016 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुके है। उक्त नियमों की विवेचना एवं प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाते है। इसलिये उक्त नियमों के संदर्भ में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

(1) **अनुज्ञा–पत्र हेतु आवेदन –**

(i) अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing authority):–आयुध अधिनियम में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष कर सकेगा। जिसके क्षेत्र में समान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है।

(ii) अनुज्ञापत्र पर हस्ताक्षर– अनुज्ञापन अधिकारी आयुध नियम, 2016 की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्तियों पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकेगें, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशिष्ट रुप से सशक्त किया गया है।

(iii)अनुज्ञापत्र के आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज का विवरण– ऐसा आवेदन व्यक्तिशः/पोस्ट ऑफिस/इलेक्ट्रोनिक या अन्य माध्यम से कर सकेगा। आवेदन–पत्र के साथ जन्म तिथि, पहचान का सबूत एवं चिकित्सीय प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र जो विभाग और आयुध अधिनियम/नियम द्वारा निर्धारित किये गये है।

(iv)अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/नवीनीकरण का रेकार्ड एनडीएएल प्रणाली से रखेगे।

(2) **शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण –**

(i) शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति से 60 दिवस पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष आयुध नियम 2016 में निर्धारित प्रारुप मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। विशेष परिस्थितियों में नवीनीकरण विलम्ब से स्वीकार किया जा सकता है परन्तु विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन एवं विलम्ब के कारण के सबध में शपथ–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।

(ii) शस्त्र अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आयुध अधिनियम 1959 की धारा 15 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 24 व नियम 27 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण सम्बन्धी निर्णय लेगें।

(iii)शस्त्र अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में प्रथमतः आयुध व गोला बारुद्ध को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के प्रावधानानुसार अविलम्ब निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफीसर के पास/ ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी की विहित की जाए किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास या जहां अनुज्ञप्तिधारी सघ के शस्त्र बल का सदस्य है किसी यूनिट के शस्त्रागार में जमा करवायेगा।

(iv)शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी/निरस्त/निलम्बन/नवीनीकरण/पंजीकरण करने की सूचना संबंधित थाने को अवश्य दी जाये।

(v) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अगर राज्य के जिलो से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण करते है, तो नवीनीकरण से पूर्व मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी/ पूर्व नवीनीकरण प्राधिकारी जिसने अन्तिम बार नवीनीकरण किया हो, से 60 दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति का सत्यापन करवाये, अगर उक्त अवधि में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कर सकेगे। अगर नवीनीकरण किये जाने के पश्चात् कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, जो नवीनीकरण पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लें सकेगे।

(vi)अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी/नवीनीकरण प्राधिकारी जिसने अन्तिम बार नवीनीकरण किया हो, से शस्त्र अनुज्ञापत्र के सत्यापन के पश्चात् ही नवीनीकरण करेगे। इस संबंध में विशेष सतर्कता बरते।

(vii) शस्त्र अनुज्ञापन के सत्यापन हेतु आयुध नियम में निर्धारित प्रारुप का ही उपयोग करे।

(viii) शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण, पूर्व नवीनीकरण/पंजीकरण प्राधिकारी के अलावा अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने की दशा में मूल/नवीनीकरण प्राधिकारी को उसकी सूचना प्रेषित करें।

(3) **शस्त्र अनुज्ञा–पत्रों के पंजीकरण के सम्बन्ध में–**

(i) शस्त्र अनुज्ञापत्र के पंजीकरण हेतु अनुज्ञापत्र की वैद्यता की अवधि समाप्ति से पूर्व आयुध नियम 2016 के नियम 17 में निर्धारित प्रारुप में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में अनुज्ञप्तिधारी स्थाई या 6 माह से अधिक अवधि के लिए अस्थाई रुप से निवास करता हो, वह स्थान अन्तिम नवीनीकरण/पंजीकरण अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता से भिन्न स्थान है, तो वह 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व अपने नवीन निवास स्थान के सम्बन्ध में नवीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करेगा एवं उसकी सूचना मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी या अंतिम नवीनीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(iii)जहां अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर निवास स्थान को परिवर्तित करता है, तो नवीन स्थान के साक्ष्य के साथ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(iv)अगर अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त हो जाती है एवं अनुज्ञापत्रधारी नवीन स्थान पर निवास करता है जिसकी अधिकारिता मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी/नवीनीकरण प्राधिकारी से भिन्न हो तो प्रथमतः पूर्व नवीनीकरण/पंजीकरण प्राधिकारी से नवीनीकरण करवाने के पश्चात् ही नये स्थान पर अनुज्ञापत्र का पंजीकरण करायेगे परन्तु सरकार के पदस्थापित लोकसेवक अपने पदीय कर्तव्य के धारण के आधार पर जीवन की जोखिम की वजह से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया हो और ऐसी लोक सेवक का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है, तो वह नवीन पदस्थापन स्थान पर अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराकर पंजीयन करवा सकेगें।

(v) बिन्दु संख्या 2 के (v) से (viii) भी पंजीकरण के प्रकरणो में लागू होगे।

(4) विधिक उत्तराधिकारियों को अनुज्ञप्ति की मंजूरी –

(i)अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्न परिस्थितियों में विधिक उतराधिकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगे–

(a)अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की अवस्था में

(b)अनुज्ञप्तिधारी की आयु 70 वर्ष प्राप्त होने पर या 25 वर्ष तक आयुध धारण करने पर जो भी पूर्वत्तर हो एवं नाम निर्दिष्ट उत्तराधिकारी को परन्तु आयुध अधिनियम/नियमों की शर्तें पूर्ति करते हो।

(ii)आयुध अधिनियम 2016 के नियम 25 के अनुसार विधिक उततराधिकारियों के शस्त्रों के प्रकरणो में वसीयत/उतराधिकार प्रमाण पत्र/मृतक के वारिसो द्वारा मृतक पत्र आवेदन के साथ पेश किया जाना आवश्यक है।

(iii)मृतक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी ने अगर शस्त्र का उस जिले में जहा उसकी मृत्यु होती है या उसके वारिसान रहते है वहा शस्त्र अनुज्ञापत्र का पंजीकरण नहीं करवाया है एवं अनुज्ञापत्र राज्य के अन्य जिले/राज्य द्वारा जारी किया गया है तो विधिक उत्तराधिकारी उत्तराधिकार के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु उस अंतिम नवीनीकरण प्राधिकारी जिसके द्वारा मृतक के अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/पंजीकरण किया है, से शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा परन्तु मृतक अनुज्ञापत्रधारी ने जिस स्थान पर अंतिम बार अनुज्ञापन पत्र का नवीनीकरण करवाया है, वहां का स्थायी निवासी नहीं है/ लोक सेवक के रुप में अनुज्ञापत्र प्राप्त किया है, तो ऐसी अवस्था में उसके उत्तराधिकारी जिस स्थान ये निवास करते है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी से आवेदन कर सकेगे परन्तु ऐसी अवस्था में मृतक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के अंतिम नवीनीकरण प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति का सत्यापन व अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात् ही कार्यवाही करेगे।

(iv)यदि मृतक अनुज्ञाधारी के विधिक उत्तराधिकारी के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र है एवं मृतक अनुज्ञप्तिधारी के जमा आयुध और गोलाबारुद को अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज करवाना चाहता है, तो आयुध अधिनियम 1959 व आयुध नियम 2016 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रकरण का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में निर्णय लेगे। एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारी होने पर अन्य विधिक उत्तराधिकारियों से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।

(v) एक से अधिक उत्तराधिकारी होने की दशा में –

a. शेष उत्तराधिकारियों द्वारा उसके पक्ष में घोषणा किये जाने एवं
b. आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र,
c. अनुज्ञप्ति का पूर्ण विवरण,
d. मृतक अनुज्ञापत्र धारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र (जिसका वह वारिस है)

(5) **शस्त्र अनुज्ञाधारी के जमा शस्त्रों के मामले–**

(i)किसी शस्त्र अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त अनुज्ञप्ति में दर्ज आयुध और गोलाबारूद्व को अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा मृत्यु की दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर निकटतम पुलिस थाने में या आर्म्स डीलर के पास जमा करवाना चाहिए। संबंधित थानाधिकारी/आर्म्स डीलर अपने इस प्रकार के जमा आयुध और गोलाबारूद्व की सूचना नियम 47 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्टयों सहित अविलम्ब संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित करेगे।

(ii)आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत जमा आयुध और गोलाबारूद्व का जमाकर्ता या शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि आयुध नियम 2016 के नियम 47 के उप नियम (6) में प्रावधित अवधि में उक्त जमा आयुध और गोलाबारूद्व को वापस प्राप्त या निस्तारित कर सकेगे।

(iii) शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आयुध और गोलाबारूद्व को मृत्यु होने के तीन माह के भीतर जमा नहीं करवाया जाता है, कई प्रकरणों में आयुध नियम 2016 के नियम 47 के उपनियम (6) में वर्णित अवधि के पश्चात् उक्त आयुध और गोलाबारूद्ध के लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन या उनके विक्रय/हस्तान्तरण/रिलीज करने का आवेदन किया जाता हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

a. आयुध को जमाकर्ता और अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आयुध और गोलाबारूद्व को निर्धारित अवधि में जमा करवा दिया जाता है तो उक्त अधिनियम व नियमों के प्रावधानों की जानकारी अविलम्ब उनके जमाकर्ता/विधिक प्रतिनिधि को देते हुऐ उनके वापस प्राप्त करने/निपटान करने के लिए सूचित करें। जमाकर्ता/विधिक प्रतिनिधि द्वारा वर्णित निर्देशों के बाद भी यदि आयुध और गोलाबारूद्व को वापस प्राप्त करने या निपटान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उक्त आयुध और गोला बारूद्व के समपहृतं (forfeited) की

कार्यवाही अधिनियम की धारा 21 व नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

b. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आयुध और गोलाबारूद्व तीन माह के बाद जमा कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में विधिक प्रतिनिधि से यह अपेक्षा की जावें की विलम्ब से आयुध और गोलाबारूद्व को जमा कराने का क्या कारण है, ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति के आयुध और गोलाबारूद्व के दुरूपयोग होने की भी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

c. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आयुध और गोलाबारूद्व के निपटान के लिए आयुध नियम 2016 के नियम 47 के उप नियम (6) में प्रावधित अवधि के बाद यदि आवेदन किया जाता है बशर्ते विधिक प्रतिनिधि को उक्त पैरा के बिन्दु संख्या (a) अनुसार सूचित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में आयुध और गोला बारूद्व के निपटाने के लिए आयुध नियम 2016 के नियम 25 एवं संबंधित प्रावधानों के तहत अनुज्ञापत्र जारी करने/विक्रय/रिलीज/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावें।

d. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत जमा आयुध और गोलाबारूद्व को शस्त्र अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समपहृतं (forfeited) कर लिया गया है और विधिक प्रतिनिधि द्वारा उक्त आयुध और गोलाबारूद्व के निस्तारण के लिए आवेदन किया जाता है तो आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21(6) के तहत प्रकरण राज्य सरकार को सन्दर्भित करें।

(6) टोपीदार बन्दूक के अनुज्ञापत्र में अन्य शस्त्र दर्ज नहीं किये जाये।

(7) अनुज्ञापन–प्राधिकारी का आदेश –अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापन आदेश/नवीनीकरण आदेश में सम्पूर्ण तथ्य वर्णित करते हुए पारित करे। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि में आवेदन करने की दिनांक, प्रतिलिपि तैयार होने की निश्चय की दिनांक, प्रतिलिपि किस दिन तैयार हुई की दिनांक, प्रतिलिपि प्रदान किये जाने की दिनांक वर्णित करे।

उक्त परिपत्र पूर्व में शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(2)गृह–9/2011 दिनांक 18–06–2013 एवं 11–11–2014 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप–6) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव